न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर. सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

राज0 निगरानी क्र0/ /016

निग - 3075 - II/16

कृष्ण कुमार सोनी उम्र- 49 वर्ष पिता जीवन लाल सोनी पेशा जातीय निवासी ग्राम कटरा, थाना गढ, तह0 त्यौंथर, जिला रीवा, म0प्र0.

----- आवेदक

बनाम

श्रीधर जायसवाल तनय श्री सौखीलाल जायसवाल उम्र-52 वर्ष पेशा-जातीय निवासी कटरा, थाना गढ, तह0 त्यौंथर, जिला रीवा, म0प्र0.

----- अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र बावद न्यायालय राजस्व निरीक्षक चाक, के प्र0क्र0 39/अ-12/15-16 मे पारित आदेश दिनांक 30.05.016 के विरूद्ध ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगरानीकेआधार निम्न है :-

(01) यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारापारित आदेश दिनांक 30.05.016 विधि एवं प्रक्रियाके विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(02) यह कि प्रश्नाधीन आदेश मनमाना एवं न्याय के विपरीत है, जो बिना किसी आधार व अधिकारिता के होने सेनिरस्त किए जाने योग्य है ।

(03) यह कि प्रश्नाधीन आराजी नं0 107/1-ख रकबा 0.001हे0, की सीमांकन का आवेदनपत्र कतई स्वीकार किए जाने योग्य नही था क्योकि आवेदक की अनुपस्थित मे पीठ पीछे पूरीकार्यवाही की गई और आवेदक कोअपना पक्ष रखने

(391)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक निग0--**3075-II** / 2016 जिला–रीवा

कृष्ण कुमार / श्रीधर जायसवाल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जवाहरलाल दुबे उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त चाकघाट तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 39 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	